रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 17 अप्रैल, 1976

चैत्र 28, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग--1

संख्या 1789/17-वि-1--69-76

लखनऊ, 17 अप्रैल, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल विक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 16 अप्रैल, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1976)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन और उसके अधीन आरोपित कतिपय करों को विधिमान्य करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1, 1939 की प्रस्तावना का संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, प्रस्तावना में शब्द "मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल की फुटकर बिक्री" के स्थान पर शब्द "मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल की बिक्री या क्रय" रख दिये जायेंगे और दिनांक 23 अप्रैल, 1974 से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी और दिनांक 23 अप्रैल, 1974 से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात्--

"(1) दिनांक 2 मई, 1974 से--

(क) राज्य में मोटर स्प्रिट या डीजल आयल की प्रथम बिक्री पर, मोटर स्प्रिट की स्थिति में 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल आयल की स्थिति में 10 पैसे प्रति लीटर

की दर से कर आरोपित किया जायगा, और ऐसे कर का भुगतान ऐसी बिक्री करने वाले व्यापारी द्वारा, नियत रीति से किया जायगा,

(ख) राज्य में अलकोहल के प्रथम क्रय पर प्रथम दस लाख लीटर के लिये 40 पैसे प्रति लीटर की दर से और शेष के लिये 20 पैसे प्रति लीटर की दर से कर आरोपित किया जायगा जो क्रेता द्वारा देय होगा, और जिसका संग्रह और भुगतान नियत रीति से राज्य सरकार को किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी द्वारा मोटर स्प्रिट या डीजल आयल की कोई बिक्री, जो राज्य में उसकी प्रथम बिक्री दिनांक 2 मई, 1974 को या उसके पश्चात् हो, इस बात के होते हुये भी कि वह उक्त दिनांक के पूर्व राज्य के भीतर बिक्री के किसी अन्य संव्यवहार का विषय रही हो, इस उपधारा के प्रयोजनार्थ राज्य में उसकी प्रथम बिक्री समझी जायगी।"

No. 1789/XVII-V-1—69-76

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Spirit, Diesel Oil Tatha Alcohol Bikri Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8, 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 16, 1976 :

THE UTTAR PRADESH SALES OF MOTOR SPIRIT, DIESEL OIL AND ALCOHOL TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. Act no. 8 of 1976]

(AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939 and to validate certain taxes levied thereunder.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 1976.

Amendment of the preamble.

2. In the preamble of the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939, hereinafter referred to as the principal Act, *for* the words "sales of motor spirit, diesel oil and alcohol" the words "sales or purchase of motor spirit, diesel oil and alcohol" shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from April 23, 1974.

Amendment of section 3 of U. P Act 1 of 1939.

3. In section 3 of the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939 *for* sub-section (1) the following sub-sections shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from April 23, 1974, namely :—

"(1) There shall be levied with effect from May 2, 1974—

(*a*) on the first sale of motor spirit or diesel oil in the State, a tax at the rate of 25 paise per litre in the case of motor spirit and 10 paise per litre in the case of diesel oil, and such tax shall be payable in the prescribed manner by the dealer effecting such sale;

(*b*) at the point of first purchase of alcohol in the State, a tax at the rate of 40 paise per litre for the first million litres and at the rate of 20 paise per litre for the remainder, payable by the purchaser, and which shall be collected and paid in the prescribed manner to the State Government:

Provided that any sale of motor spirit or diesel oil by a dealer which is the first sale thereof in the State on or after May 2, 1974, shall, for the purposes of this sub-section, be deemed to be the first sale thereof in the State, notwithstanding that it may have been the subject of any other transaction of sale within the State before the said date."

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

पी0एस0यू0पी0--ए0 पी0 37 सा0 (विधा0)--1976--650 (मे0)।